भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 969
दिनांक 24 जुलाई, 2026 को उत्तर के लिए

मिशन शक्ति योजना का प्रभाव

969. श्रीमती रचना बनर्जीः

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने पिछले दो वर्षों के दौरान मिशन शक्ति योजना के कार्यान्वयन/प्रभाव का कोई मूल्यांकन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;
(ख) उक्त योजना के तहत आवंटित, जारी और उपयोग की गई धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या महिलाओं की सुरक्षा, पुनर्वास और आर्थिक सशक्तिकरण को मजबूत करने के लिए कोई नए उपाय प्रस्तावित हैं; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) से (घ): सरकार देश में महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षा, पुनर्वास और सशक्तीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। सरकार ने महिलाओं की शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सशक्तीकरण की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जीवन-चक्र की निरंतरता के आधार पर बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाया है, ताकि वे तीव्र गति से हो और सतत राष्ट्रीय विकास में समान भागीदार बन सकें। 'वुमेन-लेड-डिबल्पमेंट' की यह परिकल्पना 2047 तक 'विकसित भारत' के लक्ष्य को साकार करने के लिए आवश्यक है।

मिशन शक्ति का उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षा और सशक्तीकरण के लिए की जा रही पहलों को मजबूत करना है। मिशन शक्ति में दो वर्टिकल: महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षा के लिए 'संबल' तथा देश भर में महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए 'सामर्थ्य' शामिल हैं ।

“संबल” उप-योजना महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षा के लिए है। इसमें वन स्टॉप सेंटर (ओएससी), महिला हेल्पलाइन (डब्ल्यूएचएल), बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (बीबीबीपी) और नारी अदालत घटक शामिल हैं।

(1)वन स्टॉप सेंटर (ओएससी)-वन स्टॉप सेंटर (ओएससी) पूरे देश में निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों में हिंसा से प्रभावित और संकटग्रस्त महिलाओं को एक ही स्थान पर एकीकृत और तत्काल सहायता प्रदान करता है। यह जरूरतमंद महिलाओं को चिकित्सा सहायता, कानूनी सहायता और सलाह, अस्थायी आश्रय, पुलिस सहायता और मनोसामाजिक परामर्श जैसी सेवाएं प्रदान करता है।अब तक, देश भर में 985 वन स्टॉप सेंटर शुरु किए गए हैं और इसकी शुरुआत अर्थात 1 अप्रैल, 2015 से 30 जून, 2026 तक, देश में 15.80 लाख से अधिक महिलाओं को सहायता प्रदान की गई है।

(2)महिला हेल्पलाइन (डब्ल्यूएचएल-181)- आपातकालीन और गैर-आपातकालीन दोनों स्थितियों में महिलाओं की सहायता के लिए 24 घंटे टोल-फ्री दूरसंचार सेवाएं प्रदान करती है। स्थापना के बाद से अर्थात 1 अप्रैल, 2015 से 30 जून, 2026 तक, डब्ल्यूएचएल ने देश में 1.04 करोड़ से अधिक महिलाओं की सहायता की है।

(3) बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बाल लिंगानुपात (सीएसआर) और बालिकाओं एवं महिलाओं के सशक्तिकरण से संबंधित मुद्दों के समाधान में सहायता करता है। यह योजना विभिन्न हितधारकों को सूचित, प्रभावित, प्रेरित, कार्यरत और सशक्त बनाकर बालिकाओं के प्रति सोच और व्यवहार में बदलाव लाने का प्रयास करती है। 15वें वित्त आयोग की अवधि में, मिशन शक्ति के सम्बल कार्यक्षेत्र के अंतर्गत एक घटक के रूप में बीबीबीपी पहलों के माध्यम से उन क्रियाकलापों पर अधिक व्यय को प्रोत्साहित किया जा रहा है जिनका जमीनी स्तर पर प्रभाव पड़ता है। बीबीबीपी विभिन्न हितधारकों, जिनमें सरकारी एजेंसियां, मीडिया, नागरिक समाज और आम जनता शामिल हैं, को संगठित करके एक नीतिगत पहल से एक राष्ट्रीय आंदोलन में परिवर्तित हो गया है।

(4) नारी अदालत-नारी अदालत योजना ग्राम पंचायत स्तर पर महिलाओं के लिए वैकल्पिक शिकायत निवारण मंच प्रदान करती है। इन अदालतों को पंचायत स्तर पर, संकटग्रस्त महिलाओं को घरेलू हिंसा और लिंग आधारित अन्य हिंसा से संबंधित छोटे मामलों को बातचीत, मध्यस्थता और आपसी सहमति से सुलह के माध्यम से हल करने में सहायता करने का दायित्व सौंपा गया है ताकि उन्हें न्याय मिल सके।

"सामर्थ्य" उप योजना महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए है। इसमें प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई), शक्ति सदन, सखी निवास, पालना और संकल्प: महिला सशक्तिकरण केंद्र (एचईडब्ल्यू) घटक शामिल हैं।

1) प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसे 01.01.2017 से पूरे देश में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा (तेलंगाना को छोड़कर) कार्यान्वित किया जा रहा है। पीएमएमवीवाई केंद्र प्रायोजित मातृत्व लाभ योजना है जिसके तहत पहले बच्चे के लिए 5,000/-रुपए की नकद प्रोत्साहन राशि सीधे लाभार्थी के बैंक/डाकघर खाते में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से दी जाती है। पात्र लाभार्थियों को शेष नकद प्रोत्साहन राशि संस्थागत प्रसव के बाद, जननी सुरक्षा योजना के तहत मातृत्व लाभ के लिए स्वीकृत मानदंडों के अनुसार प्राप्त होती है, जिससे औसतन एक महिला को 6,000/- रुपए मिलते हैं। पीएमएमवीवाई के तहत दूसरे बच्चे के लिए भी 6,000/- रुपए की नकद प्रोत्साहन राशि दी जाती है, बशर्ते दूसरा बच्चा बेटी हो।

2) शक्ति सदन- व्यापक 'मिशन शक्ति' के अंतर्गत, कठिन परिस्थितियों में फंसी महिलाओं के लिए पहले की 'स्वाधार गृह' योजना और मानव दुर्व्यापार की रोकथाम के लिए 'उज्ज्वला गृह' योजना का दिनांक1 अप्रैल, 2022 से विलय कर दिया गया जिसे अब 'शक्ति सदन योजना' के नाम से जाना जाता है। यह एक एकीकृत राहत एवं पुनर्वास गृह है जो संकटग्रस्त महिलाओं, जिनमें दुर्व्यापार की शिकार महिलाएं भी शामिल हैं, के लिए है। इसका उद्देश्य कठिन परिस्थितियों में फंसी महिलाओं के लिए एक सुरक्षित और सहायक वातावरण तैयार करना है ताकि वे प्रतिकूल परिस्थितियों से उबर सकें।

राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र अपनी स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार अपनी जरूरत का आकलन करते हैं और राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के साथ चर्चा के बाद कार्यक्रम अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) द्वारा प्रस्तावों को मंजूरी दी जाती है। इस योजना के तहत, किराए के परिसर में शक्ति सदन को चलाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वर्तमान में, देश भर में 433 शक्ति सदन कार्यरत हैं, जिनसे लगभग 11,306 महिलाओं को लाभ मिल रहा है।

3) सखी निवास-सखी निवास योजना (कामकाजी महिला छात्रावास) एक मांग आधारित केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसके तहत योजना के कार्यान्वयन के लिए सीधे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधि जारी की जाती है और इसका उद्देश्य शहरी, अर्ध-शहरी और यहां तक कि ग्रामीण क्षेत्रों में जहां महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर मौजूद हैं, वहां कामकाजी महिलाओं के लिए सुरक्षित और सुविधाजनक स्थानों पर आवास की उपलब्धता को बढ़ावा देना है।

4) पालना-पालना योजना के कार्यान्वयन का उद्देश्य शिशु गृहों (क्रेच) की पहुंच का विस्तार करना है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि हर जगह महिलाओं को काम करने का अवसर मिले और देखरेख संबंधी जिम्मेदारियों के कारण वे कार्यबल से बाहर न रहें। पालना का लक्ष्य (6 महीने से 6 वर्ष) तक के बच्चों के लिए डे-केयर शिशु गृह (क्रेच) की सुविधा प्रदान करना है।

5) संकल्प: महिला सशक्तिकरण केंद्र (एचईडब्ल्यू)-संकल्प: एचईडब्ल्यू (महिला सशक्तिकरण केंद्र) मिशन शक्ति के सभी घटकों के लिए एक परियोजना निगरानी इकाई (पीएमयू) के रूप में कार्य करता है। यह महिलाओं के लिए उपलब्ध योजनाओं और सुविधाओं के बारे में जानकारी और ज्ञान की कमी को दूर करने के साथ-साथ उन्हें लाभ और हक प्राप्त करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करने वाली एकल खिड़की प्रणाली (सिंगल विंडो सिस्टम) के रूप में कार्य करता है।

वर्ष में एक बार, कार्यक्रम अनुमोदन बोर्ड ((पीएबी) राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के साथ योजना के अंतर्गत क्रियाकलापों की प्रगति की निगरानी करता है तथा उद्देश्यों की प्राप्ति की स्थिति एवं महिलाओं और बच्चों को सेवाओं के प्रभावी वितरण की समीक्षा करता है। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय के अधिकारी समय-समय पर बैठकों, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के क्षेत्रीय दौरों के माध्यम से योजना की निरंतर समीक्षा करते हैं।

मिशन शक्ति व्यापक योजना सहित मंत्रालय की योजनाओं का तृतीय पक्ष मूल्यांकन दो बार—पहली बार 2020 में और फिर 2025 में नीति आयोग के माध्यम से किया गया है। इन अध्ययनों में योजना की प्रासंगिकता, प्रभावशीलता और स्थिरता को संतोषजनक पाया गया है।

मिशन शक्ति एक केंद्र प्रायोजित योजना है और योजना के समग्र कार्यान्वयन की जिम्मेदारी राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन की है। सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) की एकल नोडल एजेंसी (एसएनए) या एसएनए स्पर्श के लिए व्यय विभाग द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के आधार पर निधि जारी की जा रही है। मिशन शक्ति के अंतर्गत जारी की गई निधि का राज्य-वार विवरण **अनुलग्नक** में दिया गया है।

अनुलग्नक

'मिशन शक्ति योजना के प्रभाव' विषय पर श्रीमती रचना बनर्जी द्वारा पूछे गए दिनांक 24.07.2026 को उत्तर दिए जाने वाले लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 969 के भाग (क) से (घ) के संदर्भ में उल्लिखित अनुलग्नक

पिछले 2 वर्षों, अर्थात वित्त वर्ष 2024-25 और 2025-26 के दौरान 'मिशन शक्ति' के तहत जारी की गई निधि का राज्य-वार और वर्ष-वार विवरण।

वन स्टॉप सेंटर (ओएससी)

(लाख रुपयों में)

क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र***	**वित्तीय वर्ष 2024-25**	**वित्तीय वर्ष 2025-26**
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप*	0.00	0.00
2	आंध्र प्रदेश	189.07	1207.87
3	अरुणाचल प्रदेश	757.4	486.46
4	असम	282.76	976.54
5	बिहार	0.00	700.47
6	चंडीगढ़	19.04	19.05
7	छत्तीसगढ़	945.91	1016.39
8	डीएनएचडीडी	57.14	0.00
9	दिल्ली	314.29	663.02
10	गोवा	54.89	93.43
11	गुजरात	857.38	1096.75
12	हरियाणा	419.06	299.45
13	हिमाचल प्रदेश	47.22	377.05
14	जम्मू और कश्मीर	470.88	638.29
15	झारखंड	0.00	341.13
16	कर्नाटक	921.81	1407.57
17	केरल	400.01	590.63
18	लद्दाख-यूटी	38.1	38.10
19	लक्षद्वीप^	0.00	0.00
20	मध्य प्रदेश	2225.83	1105.70
21	महाराष्ट्र	0.00	249.10
22	मणिपुर	304.77	300.00
23	मेघालय	228.58	556.14
24	मिजोरम	563.26	570.24

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र*	वित्तीय वर्ष 2024-25	वित्तीय वर्ष 2025-26
25	नागालैंड	647.55	323.82
26	ओडिशा	818.62	1313.81
27	पुद्दुचेरी	0.00	40.81
28	पंजाब	438.10	423.65
29	राजस्थान	752.03	1141.76
30	सिक्किम	114.29	124.05
31	तमिलनाडु	1059.64	1831.83
32	तेलंगाना	256.42	777.37
33	त्रिपुरा	0.00	140.15
34	उत्तर प्रदेश	1801.43	1777.12
35	उत्तराखंड	53.8	417.39
36	पश्चिम बंगाल	641.93	291.57

^ *लक्षद्वीप में ईआरएसएस-*112 *के ज़रिए महिलाओं की मदद की जाती है।*

∗ *एसएनए नियमों के अनुसार एसएनए खाते में निधि उपलब्ध होने के कारण में वित्त वर्ष* 2024-25 *और* 2025-26, *अंडमान और निकोबार को निधि जारी नहीं की जा सकी।*

नोट-2:- सार्वजनिक वित्तिय प्रबंधन प्रणाली (पीएसएमएस) की सिंगल नोडल एजेंसी (एसएनए) या एसएनए स्पर्श के लिए तय किए गए व्यय विभाग के दिशा-निर्देशों के आधार पर निधि जारी की जा रही है।

***महिला हेल्पलाइन* (डब्ल्यूएचएल)**

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**वित्तीय वर्ष 2024-25**	**वितीय वर्ष 2025-26**
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	55.20	25.5
2	आंध्र प्रदेश	0.00	53.1
3	अरुणाचल प्रदेश	27.60	25.5
4	असम	41.40	53.1
5	बिहार	37.80	53.45
6	चंडीगढ़	27.60	25.5
7	छत्तीसगढ़	26.69	26.73
8	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	27.60	0.00
9	दिल्ली	41.40	28.43
10	गोवा	27.60	25.82
11	गुजरात	37.80	75.6
12	हरियाणा	27.60	25.55
13	हिमाचल प्रदेश	27.60	42.94
14	जम्मू और कश्मीर-यूटी	0.00	0.407
15	झारखंड	13.80	122.6
16	कर्नाटक	16.60	68.84
17	केरल	27.60	53.1
18	लद्दाख-यूटी	13.80	0.00
19	लक्षद्वीप*	0.00	0.00
20	मध्य प्रदेश	56.70	66.64
21	महाराष्ट्र	37.80	13.83
22	मणिपुर	27.60	25.5
23	मेघालय	31.81	53.1
24	मिजोरम	41.40	90.1
25	नागालैंड	69.00	35.5
26	ओडिशा	27.60	18.21
27	पुद्दुचेरी	0.00	1.356
28	पंजाब	0.00	46.44
29	राजस्थान	56.70	64.99
30	सिक्किम	41.40	52.97

31	तमिलनाडु	2.24	37.8
32	तेलंगाना	0.00	47.94
33	त्रिपुरा	0.00	27.42
34	उत्तर प्रदेश	75.60	67.75
35	उत्तराखंड	9.81	45.93
36	पश्चिम बंगाल	0.00	0.00

** लक्षद्वीप में ईआरएसएस-112 के ज़रिए महिलाओं की मदद की जाती है।*

** पश्चिम बंगाल डब्ल्यूएचएल योजना को कार्यान्वित करने की प्रक्रिया में है।*

नोट:- सार्वजनिक वित्तिय प्रबंधन प्रणाली (पीएसएमएस) की सिंगल नोडल एजेंसी (एसएनए) या एसएनए स्पर्श के लिए तय किए गए व्यय विभाग के दिशा-निर्देशों के आधार पर निधि जारी की जा रही है।

<u>बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओं (बीबीबीपी)</u>

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**वित्तीय वर्ष 2024-25**	**वितीय वर्ष 2025-26**
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	0.00	0.00
2	आंध्र प्रदेश	365.0	573.10
3	अरुणाचल प्रदेश	0.00	399.08
4	असम	485.0	477.37
5	बिहार	322.5	594.16
6	छत्तीसगढ	29.06	566.12
7	गोवा	0.00	29.16
8	गुजरात	0.00	524.95
9	हरयाणा	1.39	279.04
10	हिमाचल प्रदेश	0.00	261.77
11	जम्मू एवं कश्मीर	305.0	250.67
12	झारखंड	0.00	328.84
13	कर्नाटक	0.00	426.57
14	केरल	165.0	153.32
15	मध्य प्रदेश	0.00	649.58
16	महाराष्ट्र	265.0	40.88

17	मणिपुर	215.0	50.00
18	मेघालय	262.5	344.29
19	मिजोरम	140.0	280.00
20	नागालैंड	529.85	190.00
21	ओडिशा	0.00	408.45
22	पंजाब	0.00	354.40
23	राजस्थान	7.32	563.15
24	सिक्किम	0.00	68.40
25	तमिलनाडु	0.00	1,090.53
26	तेलंगाना	83.62	448.51
27	त्रिपुरा	0.00	93.96
28	उत्तर प्रदेश	0.00	1,138.08
29	उत्तराखंड	43.49	325.72
30	चंडीगढ़	15	7.50
31	दादरा नगर हवेली एवं दमन और दीव	57.65	0.00
32	एनसीटी दिल्ली	0.00	28.22
33	लक्षद्वीप^	0.00	0.00
34	पुदुचेरी	0.00	52.72
35	लद्दाख	20	0.00
36	पश्चिम बंगाल**	0.00	0.00

** *पश्चिम बंगाल बीबीबीपी योजना को क्रियान्वित करने की प्रक्रिया में है।*

^ *एसएनए नियमों के अनुसार एसएनए खाते में निधि उपलब्ध होने के कारण, वित्त वर्ष* 2024-25 *और* 2025-26 *में लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लिए निधि जारी नहीं की जा सकी।*

नोट-2:- सार्वजनिक वित्तिय प्रबंधन प्रणाली (पीएसएमएस) की सिंगल नोडल एजेंसी (एसएनए) या एसएनए स्पर्श के लिए तय किए गए व्यय विभाग के दिशा-निर्देशों के आधार पर निधि जारी की जा रही है।

<u>नारी अदालत</u>

(लाख रुपए में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र*	**वित्तीय वर्ष 2025-26**
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	2.16
असम#	7.37
बिहार	0.39
दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	2.16
जम्मू एवं कश्मीर#	21.58
केरल	0.01
नागालैंड	2.67
सिक्किम	0.79
उत्तर प्रदेश	0.60

वित्त वर्ष 2022-23 से असम राज्य और जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में 'नारी अदालत' को पायलट परियोजना के तौर पर शुरू किया गया था। वित्त वर्ष 2023-24 में असम राज्य को 21 लाख रुपये की राशि जारी की गई थी, और वित्त वर्ष 2023-24 व 2024-25 के दौरान जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र को कुल 30 लाख रुपये की राशि जारी की गई थी।

* नारी अदालत को उपर्युक्त शेष राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में वित्त वर्ष 2025-26 मे प्रायोगिक तऔर पर शुरु किया गया है।

नोट:- सार्वजनिक वितिय प्रबंधन प्रणाली (पीएसएमएस) की सिंगल नोडल एजेंसी (एसएनए) या एसएनए स्पर्श के लिए तय किए गए व्यय विभाग के दिशा-निर्देशों के आधार पर निधि जारी की जा रही है।

पीएमएमवीवाई

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र***	**वित्तीय वर्ष 2024-25**	**वित्तीय वर्ष 2025-26**
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.33	0.68
2	आंध्र प्रदेश	44.96	22.85
3	अरुणाचल प्रदेश	1.98	0.82
4	असम	77.07	14.68
5	बिहार	141.53	201.67
6	चंडीगढ़	शून्य	शून्य
7	छत्तीसगढ़	68.72	71.58
8	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	2.44	2.15
9	गोवा	1.86	0.44
10	गुजरात	72.48	51.33
11	हरियाणा	33.3	25.43
12	हिमाचल प्रदेश	26.85	16.24
13	जम्मू एवं कश्मीर	41.9	22.12
14	झारखंड	39.31	48.44
15	कर्नाटक	159.96	54.78
16	केरल	शून्य	63.48
17	लद्दाख	0.62	1.23
18	लक्षद्वीप	0.27	0.5
19	मध्य प्रदेश	257	110.52
20	महाराष्ट्र	141.17	152.14
21	मणिपुर	शून्य	12.76
22	मेघालय	3.45	7.18
23	मिजोरम	2.55	2.53
24	नागालैंड	4.18	3.39
25	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	20.08	शून्य
26	ओडिशा	43.48	9.25
27	पुद्दुचेरी	1.76	1.73
28	पंजाब	32.03	27.56
29	राजस्थान	98.17	93
30	सिक्किम	शून्य	2.36
31	तमिलनाडु	95.62	109.58
32	तेलंगाना*	0.00	0.00
33	त्रिपुरा	5.42	11.75
34	उत्तर प्रदेश **	शून्य	0
35	उत्तराखंड	26.41	37.09
36	पश्चिम बंगाल	शून्य	शून्य

** तेलंगाना पीएमएमवीवाई पोर्टल पर ऑनबोर्डिंग की प्रक्रिया में है।*

*** एसएनए खाते में पर्याप्त निधि उपलब्ध होने के कारण राज्य को निधि जारी नहीं की गई।*

शक्ति सदन

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र*	वित्तीय वर्ष 2024-25	वित्तीय वर्ष 2025-26
1.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप*	0.00	0.00
2.	आंध्र प्रदेश	0.00	600.00
3.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	49.99
4.	असम	1171.84	200.00
5.	बिहार	302.90	69.41
6.	चंडीगढ़	10.91	10.23
7.	छत्तीसगढ़	34.33	115.71
8.	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव*	0.00	0.00
9.	दिल्ली	18.24	13.10
10.	गोवा	0.00	9.75
11.	गुजरात*	0.00	0.00
12.	हरियाणा*	0.00	0.00
13.	हिमाचल प्रदेश	47.45	36.34
14.	जम्मू एवं कश्मीर	235.71	18.10
15.	झारखंड	4.77	6.47
16.	कर्नाटक	120.62	759.91
17.	केरल	420.49	84.49
18.	लद्दाख*	0.00	0.00
19.	लक्षद्वीप*	0.00	0.00
20.	मध्य प्रदेश	0.00	149.02
21.	महाराष्ट्र	1016.77	500.00
22.	मणिपुर	1993.58	1070.00
23.	मेघालय	89.58	24.79
24.	मिजोरम	0.00	300.00
25.	नागालैंड	328.36	50.00
26.	ओडिशा	490.33	970.44
27.	पुद्दुचेरी	0.00	18.71
28.	पंजाब	1.66	25.00
29.	राजस्थान	10.08	147.25
30.	सिक्किम	15.64	23.99

31.	तमिलनाडु	1153.51	1300.00
32.	तेलंगाना	229.60	1146.53
33.	त्रिपुरा	17.37	92.98
34.	उत्तर प्रदेश	784.02	418.49
35.	उत्तराखंड	0.00	28.26
36.	पश्चिम बंगाल	0.00	500.00

* कोई भी शक्ति सदन कार्यशील नहीं है।

<u>सखी निवास</u>

(लाख रुपयों में)

क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**वित्तीय वर्ष 2024-25**	**वित्तीय वर्ष 2025-26**
1	**अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह***	0.00	0.00
2	**आंध्र प्रदेश**	0.00	38.28
3	**अरुणाचल प्रदेश**	147.02	9
4	**असम**	54.84	78.25
5	**बिहार**	90	0.47
6	**चंडीगढ़**	0.00	35
7	**छत्तीसगढ़**	4.98	70.13
8	**दादरा, नगर हवेली, डी एंड डी***	0.00	0.00
9	**दिल्ली**	3.02	0.00
10	**गोवा***	0.00	0.00
11	**गुजरात**	0.00	0.00
12	**हरियाणा***	0.00	0.00
13	**हिमाचल प्रदेश**	4.65	28.54
14	**जम्मू एवं कश्मीर**	37.24	5.83
15	**झारखण्ड***	0.00	0.00
16	**कर्नाटक***	0.00	0.00
17	**केरल**	102.12	92.5
18	**लद्दाख***	0.00	0.00
19	**लक्षद्वीप***	0.00	0.00
20	**मध्य प्रदेश**	0.00	11.54
21	**महाराष्ट्र**	25.55	66.28
22	**मणिपुर**	81.55	62.5

23	**मेघालय**	0.00	49.97
24	**मिजोरम**	49.67	25
25	**नागालैंड**	27.87	0.00
26	**ओडिशा**	24.99	39.49
27	**पुडुचेरी**	0.00	0.8
28	**पंजाब**	0.00	1.004
29	**राजस्थान***	0.00	0.00
30	**सिक्किम**	12.14	3.25
31	**तमिलनाडु**	108.31	45
32	**तेलंगाना**	0.00	11.77
33	**त्रिपुरा**	0.00	13.12
34	**उत्तराखंड***	0.00	0.00
35	**उत्तर प्रदेश**	39.71	4.84
36	**पश्चिम बंगाल***	0.00	0.00

* सखी निवास के क्रियाशील न होने और एसएनए के नियमों के मानदंडों न करने के कारण निधि की कोई मांग न होने के कारण निधि जारी नहीं की गई ।

<u>पालना</u>

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**वित्तीय वर्ष 2024-25**	**वित्तीय वर्ष 2025-26**
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह*	0.00	0.00
2	आंध्र प्रदेश*	0.00	0.00
3	अरुणाचल प्रदेश	86.80	0.00
4	असम	0.00	0.18
5	बिहार	0.17	39.02
6	चंडीगढ़	423.80	474.70
7	छत्तीसगढ़	6.93	211.61
8	दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	65.32	0.00
9	दिल्ली	0.00	166.75
10	गोवा	0.00	2.09
11	गुजरात*	0.00	0.00
12	हरियाणा	99.94	145.60
13	हिमाचल प्रदेश	267.46	117.71

14	जम्मू एवं कश्मीर	322.86	73.97
15	झारखंड	0.00	16.74
16	कर्नाटक	56.12	78.14
17	केरल	0.00	264.68
18	लद्दाख	0.00	8.00
19	लक्षद्वीप*	0.00	0.00
20	मध्य प्रदेश*	0.00	0.00
21	महाराष्ट्र	0.00	0.01
22	मणिपुर*	0.00	0.00
23	मेघालय	0.00	99.97
24	मिजोरम	591.95	520.56
25	नागालैंड	202.27	269.37
26	ओडिशा	0.00	50.40
27	पुद्दुचेरी	0.00	2.63
28	पंजाब	161.95	151.72
29	राजस्थान*	0.00	0.00
30	सिक्किम	0.00	12.13
31	तमिलनाडु	587.88	214.31
32	तेलंगाना	979.80	1.22
33	त्रिपुरा	663.11	96.23
34	उत्तर प्रदेश *	0.00	0.00
35	उत्तराखंड	1.01	108.02
36.	पश्चिम बंगाल*	0.00	0.00

* कोई भी एडब्ल्यूसीसी कार्यरत नहीं है।

संकल्प:एचईडब्ल्यू

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वित्तीय वर्ष 2024-25	वित्तीय वर्ष 2025-26
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.00	74.70
2.	आंध्र प्रदेश	0.00	55.42
3.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	154.13
4.	असम	121.40	964.52
5.	बिहार	312.54	415.79
6.	चंडीगढ़	0.00	43.80
7.	छत्तीसगढ़	35.92	415.46
8.	दादरा नगर हवेली और दमन और दीव	74.70	69.87
9.	दिल्ली	198.29	46.57
10.	गोवा	0.00	6.87
11.	गुजरात	95.36	567.72
12.	हरियाणा	0.25	91.61
13.	हिमाचल प्रदेश	118.63	309.38
14.	जम्मू और कश्मीर	317.12	367.55
15.	झारखंड	1.38	100.57
16.	कर्नाटक	381.84	456.09
17.	केरल	0.00	219.57
18.	लद्दाख	59.25	109.52
19.	लक्षद्वीप**	0.00	0.00
20.	मध्य प्रदेश	0.00	215.16
21.	महाराष्ट्र	0.00	38.35
22.	मणिपुर#	0.00	0.00
23.	मेघालय	67.87	458.98
24.	मिजोरम	317.79	324.41
25.	नागालैंड	432.92	150.77
26.	ओडिशा	0.00	514.96
27.	पुद्दुचेरी	54.09	34.12
28.	पंजाब	0.09	125.17
29.	राजस्थान	0.00	518.50
30.	सिक्किम	106.18	130.99
31.	तमिलनाडु	11.27	676.31
32.	तेलंगाना	54.37	467.50
33.	त्रिपुरा	136.84	78.12
34.	उत्तर प्रदेश	779.76	244.83
35.	उत्तराखंड	58.08	365.83
36.	पश्चिम बंगाल*	0.00	0.00

** पश्चिम बंगाल 'संकल्प: एचईडब्ल्यू' योजना को कार्यान्वित करने की प्रक्रिया में है।*

*** एसएनए नियमों के अनुसार एसएनए खाते में निधि उपलब्ध होने के कारण, लक्षद्वीप में वित्त वर्ष 2024-25 और 2025-26 के लिए निधि जारी नहीं की जा सकी।*

सार्वजनिक वितिय प्रबंधन प्रणाली (पीएसएमएस) की सिंगल नोडल एजेंसी (एसएनए) या एसएनए स्पर्श के लिए तय किए गए व्यय विभाग के दिशा-निर्देशों के आधार पर निधि जारी की जा रही है। हालांकि, राज्य ने एसएनए एसपीएआरएसएच पर कोई बिल नहीं बनाया है।
